

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो
COFEPOSA विंग

जनपथ भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 01.07.2024

सार्वजनिक सूचना

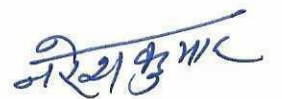
विषय: संयुक्त सचिव (COFEPOSA) के नाम से प्रसारित फर्जी और धोखाधड़ी वाले ई-मेल के संबंध में।

आम जनता को सूचित किया जाता है कि साइबर अपराध और आर्थिक अपराध, पुलिस मुख्यालय, पीएस मंदिर मार्ग कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली के नाम से जारी किए गए कुछ फर्जी और धोखाधड़ी वाले ई-मेल व्यापक रूप से प्रसारित किए जा रहे हैं, जिन पर श्री अनुपम प्रकाश, संयुक्त सचिव (COFEPOSA), CEIB, नई दिल्ली का नाम और फर्जी हस्ताक्षर हैं, जिसमें ईमेल प्राप्त करने वालों के खिलाफ यह आरोप लगाया गया है कि वे अपने कार्यालय या घर के इंटरनेट के माध्यम से गुप्त रूप से किशोर अश्लील वेबसाइटों तक पहुँच रहे हैं।

2. श्री संदीप खिरवार, एडीजी, साइबर अपराध और आर्थिक अपराध, पुलिस मुख्यालय, नई दिल्ली और श्री अनुपम प्रकाश, संयुक्त सचिव (COFEPOSA), CEIB के नाम और हस्ताक्षरों वाला एक पत्र भी ई-मेल के साथ संलग्न है, जिसमें उक्त ई-मेल के प्राप्तकर्ताओं के खिलाफ बाल पोर्नोग्राफी, पीडोफिलिया, साइबर पोर्नोग्राफी, यौन स्पष्ट प्रदर्शन, ग्रूमिंग आदि के कुछ आरोप लगाए गए हैं।

3. इस संबंध में, सभी को यह सूचित किया जाता है कि ऐसे ई-मेल संयुक्त सचिव (COFEPOSA) द्वारा जारी नहीं किए गए हैं। चूंकि उपर्युक्त ई-मेल धोखेबाजों/ धोखाधड़ी करने वालों द्वारा संवेदनशील और कमजोर व्यक्तियों को फंसाने और साइबर अपराध/धोखाधड़ी करने के लिए प्रसारित किए गए हैं, इसलिए आम जनता को धोखेबाजों/ धोखाधड़ी करने वालों के तौर-तरीकों से सावधान रहने की सलाह दी जाती है और ऐसे ई-मेल का जवाब नहीं दिया जाना चाहिए तथा ऐसे मामलों की सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन/साइबर पुलिस स्टेशन को दी जानी चाहिए।

4. संयुक्त सचिव (COFEPOSA) के आदेश द्वारा जारी।



(नरेश कुमार)
निदेशक (COFEPOSA)